विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2583 के प्रश्नांश (क) से संबंधित परिशिष्ट - 1 [8/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2583]

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी,(मामोन गेट) टीकमगढ़ (म0प्र0)

पुरा-मामोन दरवाजा टीकमगढ़ email-sdoftikamgarh@mp.gov.in mob-9424791351

क्रमांक/2024/284

प्रति,

टीकमगढ़, दिनांक – 13.02.2024

वन परिक्षेत्राधिकारी
जतारा

विषय :– माह अक्टूबर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक के वन अपराध प्रकरण दर्ज पंजी अनुसार (वाहन जप्ती से संबंधित) प्रकरणों की समस्त मूल पत्रावलियाँ मय न्यायालयीन आदेश सहित एवं वन अपराध दर्ज पंजी की सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्र कमांक/2024/71 टीकमगढ़, दिनांक 10.01.2024, पत्र कमांक/2024/244 टीकमगढ़, दिनांक 08.02.2024 एवं पत्र कमांक/2024/259 टीकमगढ़, दिनांक 12.02.2024।

–00–

विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त वन परिक्षेत्राधिकारी जतारा अन्तर्गत संबंधित वन अपराध पंजी माह अक्टूबर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त अवधि में आपके परिक्षेत्रान्तर्गत विभिन्न अवैध वन अपराधों के विरूद्ध जिसमे वाहन लिप्त थे। निम्नानुसार वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है–

क्र.	वन अपराध प्रकरण कमांक/दिनांक	अपराध का प्रकार	जप्त वाहन का प्रकार एवं कमांक
1	2	3	4
1	262/04 दिनांक 07.10.2023	भा0व0अ0 1927 की धारा 33(1) ग	महिन्द्रा 275 DI मय ट्रॉली इंजन नं. RMCSNPN1967
2	3533/13 दिनांक 12.10.2023	भा0व0अ0 1927 की धारा 33(1) ग	ट्रेक्टर 1 नग मय ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. MP36AA1696
3	251/16 दिनांक 18.11.2023	भा0व0अ0 1927 की धारा 41	HMT ट्रेक्टर मय ट्रॉली
4	251/17 दिनांक 18.11.2023	भा0व0अ0 1927 की धारा 41	महिन्द्रा ट्रेक्टर मय ट्रॉली 1 नग
5	246/07 दिनांक 19.11.2023	भा0व0अ0 1927 की धारा 41	महिन्द्रा ट्रेक्टर मय ट्रॉली 1 नग
6	242/24 दिनांक 19.11.2023	भा0व0अ0 1927 की धारा 33(1)	1. मोरबेल्स ट्रक रजि0 KA01MM9094 2. ट्रक/ट्राला रजि0 KA01AF2494
7	251/18 दिनांक 18.12.2023	भा0व0अ0 1927 की धारा 41	पावर ट्रेक ट्रेक्टर मय ट्रॉली चेसिस नं. T053660365DM

उक्त प्रकरणों का परीक्षण करने पर पाया गया कि आपके द्वारा प्रकरणों में जप्त
ो सूचना भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता के
ों प्रेषित की जानी चाहिये थी। परन्तु आपके द्वारा उक्त प्रकरणों में जप्त वाहनो की सूचना
लय में प्रेषित न करते हुये प्रकरणो को जाँच उपरान्त इस कार्यालय को प्रस्तुत नही किया
अपने मनमाने तरीके से बिना इस कार्यालय की अनुमति के प्रकरणों का चालान माननीय
के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके कारण प्रकरणों में जप्त वाहनो को अपराधियों के पक्ष
ा न्यायालय जतारा द्वारा वाहन मुक्त करने का आदेश पारित किया गया। जिससे विभाग
ा हानि हुई। आपके द्वारा उपरोक्त प्रकरणो को इस कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु
ना तक भी नही प्रेषित किया गया, के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 02 दिवस के अन्दर
रकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

साथ ही उपरोक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति सहित
ो समस्त मूल पत्रावलियाँ एवं दिनांक अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2023 तक की एफ.ओ.
जी की सत्यापित छायाप्रतियाँ अवलोकन हेतु 02 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत
ाश्चित करें।

उप वन मण्डलाधिकारी
टीकमगढ

टीकमगढ, दिनांक –13.02.2024

024 / 28

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक महो0 छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महो0 सामान्य वनमण्डल टीकमगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

उप वन मण्डलाधिकारी
टीकमगढ

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2583 के प्रश्नांश (ख) से संबंधित परिशिष्ट - 2

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष–संरक्षण)

तृतीय तल, ए. ब्लाक वन भवन,तुलसीनगर भोपाल मध्यप्रदेश
Tel. (Office)2674212,2551450(Fax) 2551450, Email:apccfprot@mp.gov.in

कमांक / विधान सभा / 2025–26 / 10–10 / 3248 भोपाल, दिनाक 18 / 07 / 2025

प्रति,

श्री ब्रजेन्द्र श्रीवास्तव, भा0व0से0
कार्य आयोजना अधिकारी
कार्यआयोजना वृत्त छतरपुर
मध्यप्रदेश

Urgent

विषयः– **विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 1484 द्वारा श्री यादवेन्द्र सिंह सत्र जुलाई अगस्त 2025**

संदर्भ :– **मुख्य वन संरक्षक छतरपुर का पत्र कमांक 1769 दिनांक 17 / 07 / 2025**

––''––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 1484 द्वारा श्री यादवेन्द्र सिंह सत्र जुलाई अगस्त 2025 उत्तर की समीक्षा करने पर पाया गया कि वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़ द्वारा वन अपराधों में संलिप्त जप्त वाहनों धारा 52 के तहत परिक्षेत्र जतारा अतर्गत नियम विरूद्ध तरीके से जुर्माना वसूल कर वाहनों को छोड़ा गया है। किन किन धाराओं का उपयोग किया गया है, कृपया दिनांक 21 / 07 / 2025 तक जॉच कर प्रतिवेदन प्रेषित करे।

साथ ही मुख्य वन सरंक्षक छतरपुर के पत्र कमांक 3408 दिनांक 12 / 12 / 2024 द्वारा Requesting Forest entry permission to conduct topographicsurvey Geologiocal Mapping and surface sampling work in Jhalauthar Forest area Bada MAleharea Taluka Chhatarpur से संबंधित प्रकरण की छायाप्रति संलग्न है कृपया उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्त संदर्भित पत्र

(मनोज कुमार अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0 कमांक / बजट / 2025–26 / 10–10 / 3249 भोपाल, दिनाक 18 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :– मुख्य वन सरंक्षक वन वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

prot budget 2025

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल